1/17 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर A2/6

31 व 42 श्रीगंगानगर की जांच की। दुकान के व्यवस्थापक बलवंत राय ने दुकान का निरीक्षण करवाया। दुकान के गेहुं स्टॉक रजिस्टर खाद्य सुरक्षा में माह अक्टूबर 13 में केवल दिनांक 20.10.13 को 357.80 क्विंटल गेहूं व गेहूं स्टॉक रजिस्टर बीपीएल, अन्त्योदय गेहूं इस प्रकार कुल 447.12 क्विंटल गेहूं क्रय–विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानग से जरिये बिल संख्या 3317 व 3318 प्राप्त होना बताया है। क्रय–विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर के रिकार्ड अनुसार माह अक्टूबर 13 में दुकानदार को कुल 638.50 क्विंटल गेहूं समिति से प्राप्त हुआ है जबकि दुकानदार ने केवल 447.12 क्विंटल गेहूं की स्टॉक में दर्ज किया है। इस प्रकार दुकानदान ने 638.50–447.12 शेष 191.38 क्विंटल गेहूं का इन्द्राज अपने स्टॉक में नहीं किया । भौतिक सत्यापन करने पर दुकानदार के पास दुकान के गेहूं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज गेहूं व इसमें से वितरण के उपरांत शेष रहे गेहूं अनुसार ही गेहूं दुकान व गोदाम मे रखा लिया। शेष 191.38 क्विंटल गेंहू दुकानदार की दुकान व दुकान से संबंधित दर्ज गोदाम दोनों में रखा नहीं मिला। दुकानदार के स्टॉक में 191.38 क्विंटल गेहूं कम पाया जाना, साथ ही मोहल्लावासियो का यह कहना कि रोजाना दुकानदार द्वारा गेहूं आटा चक्की पर बेचा जाता है। बतौर सबूत 60 वैग गेहूं आटा चक्की पर बरामद होना, स्पष्ट रूप से यह साबित करता है कि दुकानदार कालीचरण व उसके कार्यकर्ताओं द्वारा कम पाया 191.38 क्विंटल गेहूं अवैध रूप से आटा चक्की मालिक से सांठ–गांठ कर उंचे दामों पर आटा चक्की पर कालाबाजारी में बेच दिया।

प्रा.पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जसवन्तसिंह भादू एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व जवाब पेश किया गया व अप्रार्थी पर झूठे इल्जामात लगाया जाना जाहिर किया लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से पश्चातवर्ती कार्यवाही के दौरान न तो अप्रार्थीगण स्वयं न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए न ही प्रत्युतर अथवा बचाव पेश किया न प्रत्युतर में कोई साक्ष्य पेश किया। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विभागीय पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाते हुए इस्तदुआ की कि गैर सायलान द्वारा प्रा. पत्र में वर्णितानुसार उपबन्धों की उल्लंघना की है। अतः जब्त शुदा 60 बैग राजसात फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल संख्या 02 जी ब्लाक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नम्बर 31 व 42 का डिपो होल्डर है। जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 31 व 42 श्रीगंगानगर उचित मूल्य दुकान कालीचरण व उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के सैक्शन 3 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरण का विनियमन आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 5, 7, 11, 14 का स्पष्ट उल्लंघन किया है व आटा चक्की मालिक पुरूषोतम अग्रवाल ने उनके इस कार्य में एक राय से सहयोग किया जाना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त जब्तशुदा 60 बैग 29.169 क्विंटल गेहूं को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन न हो अथवा इस संबंध में आपराधिक मामला दर्ज हो तो सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर राजसात करने की कार्यवाही करें व इस न्यायालय को अवगत करवायें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर उदघोषित किया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

1/13

A2/5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–01/2017

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन निरीक्षक .... प्रार्थी

बनाम्

1. पुरूषोतम अग्रवाल पुत्र श्री गज़ानन्द मकान नम्बर 06 तेली मोहल्ला श्रीगंगानगर-
2. कालीचरण डिपो होल्डर जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नम्बर 31 व 42 श्री गंगानगर।.. अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

।। निर्णय ।। दिनांकः– 05/5/17

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त इस्तगासा पेश किया गया कि दिनांक 22.10.13 को सांय 7:15 बजे गेंहू की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जाचं हेतु जवाहर नगर थाना श्रीगंगानगर के सामने मकान नं. 6 तेली मोहल्ला स्थित मैसर्स गजानंद अमरचंद आटा चक्की पर पहुंचा। मौके पर श्री पुरूषोतम अग्रवाल पुत्र गजानंद जाति अग्रवाल निवासी 6 तेली मोहल्ला श्रीगांगनगर उपस्थित थे, जिन्होने स्वयं को आटा चक्की मालिक होना बताया। इनकी उपस्थिति में आटा चक्की की जाचं की गयी। आटा चक्की पर 60 बैग प्लास्टिक के जिनमें गेहूं है, सभी बैगो पर एफसीआई का मार्का लगा है, रखे मिले। मौके पर उपस्थित श्री बाबूलाल निर्वाण पुत्र मोहनलाल व श्री पप्पू पंवार पुत्र बसंती लाल ने बताया कि कालीचरण का डीपू जो जवाहरनगर थाने के पास है, से पिछले 4–5 दिनों से लगातार गेहूं आटा चक्की पर बिकने आ रहा है। इस कारण आज निगरानी रखने पर जैसे ही गेहूं बिकने के लिए आया हमने जिला प्रशासन को सूचना दी। जांच के वक्त आटा चक्की पर लगभग सौ–सवा सौ लोग मौजूद थे। उन सबकी उपस्थिति में आटा चक्की मालिक पुरूषेतम ने पूछने पर स्वीकार किया कि सभी 60 बैग गेहूं कालीचरण के डीपू से आया है तथा सभी मौजूद व्यक्तियों ने भी एकमत में गेहूं कालीचरण के डीपू से आना बताया। आटा चक्की मालिक व उपस्थित अन्य सभी लोगों के बताने के अनुसार जवाहर नगर थाने के पास कालीचरण के डीपू जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 31 व 42 श्रीगंगानगर से आया पीडीएस का गेहूं आटा चक्की पर अवैध रूप से कालाबाजारी में बिकता पाया जाने के कारण समस्त 60 बैग गेहूं कुल वजन 29.169 क्वि. वजह सबूत जब्त कर श्री हेमराज, सैल्समेन, क्रय विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया। अगले दिन दिनांक 23.10.13 को क्रय–विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर से जी–ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 31 व 42 श्रीगंगानगर को माह अक्टूबर 13 में दिये गये गेहूं के वारे में सूचना प्राप्त की। जिस अनुसार जरिये 9 चालानों के ट्रेक्टर–ट्रालियों के मार्फत कुल 638.50 क्विटल गेहूं इस उचित मूल्य दुकान को पहुंचाव किया पाया। सभी 9 चालानों पर जी–ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वार्ड नं. 31 व 42 के साथ कालीचरण का नाम व मोबाईल नं. 94140–87507 भी लिखे हुए हैं। समिति के गेहूं प्रभारी श्री नरेन्द्र शर्मा ने पूछने पर बताया कि इस उचित मूल्य दुकान के लिए उससे कालीचरण सम्पर्क करता है। उक्त भण्डार/दुकान कालीचरण का है। गेहूं पहुंचाव चालाना पर प्रत्येक के पीछे कालीचरण के प्रतिनिधि बलवंतराय, वतन गर्ग व अविनाश मणी के हस्ताक्षर गेहूं प्राप्त किये जाने के प्रमाण के रूप में अंकित है। उपरजिस्ट्रार सहाकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जी–ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पर बलवंत रा, व्यवस्थापक व वतन गर्ग सहायक व्यवस्थापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नरेन्द्र शर्मा ने यह भी बताया कि गेहूं पहुंचाव के बाद मैंने कालीचरण से उसके मोबाईल पर सम्पर्क कर गेहूं पहुंचाव को कन्फर्म किया है। कालीचरण ने गेहूं पहुंचाव को स्वीकारा है, इसके अलावा गेहूं पहुंचाव की दिनांकों को सांय कालीचरण स्वयं क्रय–विक्रय सहकारी समिति कार्यालय दुकान नं.100 धानमण्डी श्रीगंगानगर पर आकर गेहूं का मिलान उससे करके जाता है। उचित मूल्य दुकान जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं.